

FORM NO. III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत :- न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बाली पाली

प्रार्थी :-  
भीकसिंह व अन्य

बनाम

अप्रार्थी :-

मृतक मालसिंह व अन्य

किस्म मुकदमा : स्थगन प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या : 18 / 2025

जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या : (2025/151 -)

स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सीपीसी धारा 81 आर.

एल.आर.एक्ट 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हूयें
-------------	----------------------------------	---

20-08-2025 प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत पेश कर गत खसरा नम्बर 59 एवं नये खसरा नम्बर 140 जो बेरा है जिसे बारी-बारी अनुसार सिंचाई गत खसरा नम्बर 60 का नये खसरा नम्बर 139 का 1/2 भूमि पर सिंचाई करने से रेस्पोजेण्ट/अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं एवं किसी प्रकार का बाधा, व्यवधान अडचन नहीं डाले एवं मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत पेश किया गया प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो। पत्रावली मूल पत्रावली के साथ आयंदा दिनांक 24.09.2025 को पेश हो।

10/9  
20/08/25  
नोटीसपारी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
बाली, जिला-पाली

24/09/25

वकुलाय उप.आज पीठासीन  
अधिकारी म.म.एस. में पधार  
है। पत्रावली दिनांक 24/09/25  
को पेश हो।

07/10/25

वकुलाय उप.आज पीठासीन  
अधिकारी म.म.एस. में पधारे  
है। पत्रावली दिनांक 07/10/25  
को पेश हो।

17/10/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उमरपुत्र  
उप. पत्रावली मूल पत्रावली के साथ  
आयंदा दिनांक 17/11/2025 को पेश हो।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
बाली, जिला-पाली

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
17/11/25	<p>पत्रावली पेशुद्धि/ अधिवक्ता जमाना एवं          छुट्टीकरण प. 1 के का. उ. 2/2 की मोट से उपरो          पत्रावली मूल पत्रावली के साथ दिनांक 10/12/25          को पेश हो।</p> <p><b>अतिरिक्त जिला कलेक्टर</b>  <b>बाली, जिला-पाली</b></p>
10/12/25	<p>बकुलाय उप. आज पीठसीन <del>पत्रावली</del> 20 कपुर मधुमेक मीठीय          अधिकारी D.L.S.R. में पेश          है। पत्रावली दिनांक 02/01/26          को पेश हो।</p>
02/01/2026	<p>पत्रावली पेशुद्धि।          पत्रावली मूल पत्रावली के साथ दिनांक 28/01/26 को पेश          हो।  <del>पुनर्य: हस्तात स्थान प्रार्थना पत्र के          सहित पत्रावली मूल अपील को अधिवक्ता          के विद्व पत्रावली का सफा न्याय प्रथम          पत्रावली कने हो लोचने का निर्णय          लिया गया है कि हस्तात स्थान प्रार्थना          पत्र अपील के साथ न अपील होकर          अपील के जोड़ा गया पत्रावली          मूल मूल मूल (होम) दाखिल पत्रावली          जाय।</del></p> <p><b>अतिरिक्त जिला कलेक्टर</b>  <b>बाली, जिला-पाली</b></p>